(10)

संख्या 3728/ ।।–2008–04(03)/08

आर०सी० लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2009

विषय : अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 3466/ मु0अ0वि0/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 13.08.09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में बदाली नहर के जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण की योजना की पुनरीक्षित लागत रू0 54.15 लाख के सापेक्ष रू0 51.91 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये योजना के लिए शेष धनराशि रू0 19.01 लाख (रू0 उन्नीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि वर्ष 2009–10 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है व योजना निर्माणाधीन है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं बिभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान/परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करेंगे । स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
12. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–30 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 800–अन्य व्यय–02–24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के पत्रसंख्या 498/XXVII(2)/2009, दिनांक 20.10.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव

संख्या 3728/II–2008–04(03)/08तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
4. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/उत्तरकाशी,।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव